रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 404] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 1970/कार्तिक 18, 1892

No. 404] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 1970/KARTIKA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 9th November, 1970

S.O. 3710.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 581, dated the 4th March, 1963, read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 816, dated the 4th March, 1968, in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 922, dated the 3rd March, 1969, and in the Ministry of Foreign Trade Nos. S.O. 835, dated the 28th February, 1970, and S.O. 2969, dated the 2nd September, 1970, made under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the management of the industrial undertaking known as the Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited, Amalner (Maharashtra), had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above;

And whereas it appears to the Central Government that the purpose of the Order made under the said section 18A has been fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 18F of the said Act, the Central Government hereby cancels the Order first mentioned above.

This Order shall come into force on and from the 4th December, 1970.

[No. F. 13(1)TEX(G)/68.]

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवंबर 1970

का०आ० 3710.—यतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 816 दिनांक 4 मार्च, 1968, भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के आदेश सं० का० आ० 922, दिनांक 3 मार्च 1969 तथा विदेशी व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 835 दिनांक 28 फरवरी, 1970 तथा का०आ० 2969 दिनांक 2 सितम्बर, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 581 दिनांक 4 मार्च, 1963 द्वारा प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अमलनेर (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिवर्णित अंतिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा ले लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उक्त धारा 18क के अधीन जारी किये गये आदेश का प्रयोजन पूरा हो गया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपरिवर्णित अंतिम आदेश को रद्द करती है।

यह आदेश 4 दिसम्बर, 1970 को तथा उस तारीख से लागू होगा।

[सं० फा० 13 (1) टैक्स (जी)/68]

सी० एस० रामचन्द्रन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970